न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 80/2006
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2006/00001

वादी

भूराराम पुत्र भैराराम
जाति जाट
निवासी भांडियावास
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.अधिशाषी अभियंता,नेशनल हाईवे नम्बर–112 कार्यालय अधिशाषी अभियंता नेशनल हाईवे बालोतरा
2.अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
4.उम्मेदाराम पुत्र भैराराम के वारिसान
4/1.देवाराम पुत्र उम्मेदाराम
4/2.शंकरलाल पुत्र उम्मेदाराम
4/3.बाबुलाल पुत्र उम्मेदाराम
4/4.सुखराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी भांड़ियावास तहसील पचपदरा
5.भू तल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार जरिए परिवहन सचिव भू तल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री लाघूराम चौधरी अधिवक्ता वादी
2.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02
3.श्री सतीश ओझा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05
4.श्री पुनमाराम चौघरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 अनुपस्थित
5.प्रतिवादी संख्या 01 व 03 अनुपस्थित।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 04.09.2025

1. संक्षिप्त मे वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा की .खसरा संख्या 13,15 व 17 कुल रकबा 148.13 बीघा भूमि अवस्थित हैं। वादग्रस्त भूमि वादी व वादी के भाई किरताराम द्वारा वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार मांगीलाल वल्द सुमेरमल ओसवाल व अणचकंवर बेवा शेषकरण चारण से खरीद की गई थी,जिसमें 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा किरताराम का था। वक्त खरीद से कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादी व उसके भाई किरताराम का बंटवाड़ा होने पर खसरा संख्या 13,15 व 17 मूल का खातेदार वादी रहा तथा खसरा संख्या 13/2, 15/1 व 17/1 का खातेदार किरताराम कायम हुए। वादी के हक में खसरा संख्या 13 रकबा 64 बीघा,,खसरा संख्या 15 रकबा 06.05 बीघा व खसरा संख्या 17 रकबा 03 बीघा बने। वादी का खसरा संख्या 13 जोधपुर बाड़मेर रोड़ पर आया हुआ है, वादी के खसरा संख्या 13 के उत्तर–पश्चिम में वक्त सेटलमेंट में खसरा संख्या 04 सरकारी रास्ता पचपदरा से कुड़ी दर्ज हैं,जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हैं। बाड़मेर से जोधपुर सड़क बनाते समय खसरा संख्या 04 में सड़क नहीं बनाकर वादी के खसरा संख्या 13 में सड़क बनी दी गई, जबकि सड़क निर्माण करने से पूर्व न ही वादी को सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही भूमि अवाप्ति कर वादी को मुआवजा दिया गया,लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अवैध रूप से वादी की खसरा संख्या 13 में रकबा 06.01 बीघा में अवैध रूप से सड़क का निर्माण करने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 13 में रकबा 06.01 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा गलत तौर से सड़क का किया गया निर्माण हटाया जाकर भूमि पुनः वादी की खातेदारी में घोषित की जावें तथा खसरा संख्या 13/1 की तरमीम निरस्त कर खसरा संख्या 13 में समायोजित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध माफिक अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा जवाब पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 04 को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने पर जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 अधिक्ता की ओर से जवाब पेश किया गया।

3. वादी ने अपने वाद पत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW.01 भूराराम व PW.02 अचलाराम थोरी के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 13 की जमाबंदी संवत् 2058–2061 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 02 इसी ग्राम का नक्शा प्रति, प्रदर्श 03 भूमि दर प्रमाण पत्र, प्रदर्श 04 नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 05 नामान्तकरण संख्या 23 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 06 जमाबंदी संवत् 2030–2033 तक, प्रदर्श 07 जमबंदी संवत् 2034–2037 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 08 रजिस्ट्रर्ड AO नोटिस प्रति, प्रदर्श 09 से 11 नोटिस की रजिस्ट्री रसीदें, प्रदर्श 12 तहसीलदार पचपदरा के जवाब की प्रति, प्रदर्श 13 स्टामप संख्या 46AA492604 प्रति, प्रदर्श 14 नामान्तकरण संख्या 257 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2062–2065 खसरा संख्या 899/13, 904/15 व 906/17 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 16 मौका कमीश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 17 विवादित भूमि खसरान् नक्शा प्रति, प्रदर्श 18 नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 17.04.2011 का प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी साक्ष्य नहीं करवाने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

4. हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वक्त बहस अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम भांडियावास की खसरा संख्या 13, 15 व 17 क्रमशः रकबा 128 बीघा,12.10 बीघा व 07.15 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी द्वारा दिनांक 04.12.1973 को खरीद किया गया,वक्त खरीद कब्जा प्राप्त किया गया। शेष उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा वादी के भाई किरताराम द्वारा एक वर्ष पश्चात् खरीद किया गया,जिसमे खसरा संख्या 13/1,15/1,17/1 कायम हुए। वादी के 1/2 हिस्सा की भूमि खसरा संख्या 13 में 64 बीघा पचपदरा से कुड़ी जाने वाले सरकारी रास्ते के खसरा संख्या 04 की तरफ लगती हुई अवस्थित हैं। वादी द्वारा भूमि खरीद के बाद बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुए,जिसमें खसरा संख्या 04 के निर्माण के साथ वादी की खसरा संख्या 13 का रकबा 64 बीघा भूमि में से रकबा 06.01 बीघा भूमि बाड़मेर जोधपुर सड़क निर्माण कर वादी के खसरे में से निकाली गयी। वादी की बिना जानकारी के यह कार्यवाही की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने चुपके से प्रतिवादी संख्या 03 से मिलकर वादी की भूमि रकबा 06.01 बीघा पर जो सड़क का निर्माण किया गया,उसका नामान्तकरण संख्या 257 भरकर प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज किया गया,जिसके खसरा संख्या 13/1 कायम हुए। वादी को इसकी जानकारी तक नहीं हुए और न ही सड़क निर्माण की वादी को कोई इतला दी गई,न ही कोई अवाप्ति की कार्यवाही की गयी,न ही वादी को उक्त भूमि का मुआवजा दिया गया। वादी को यह जानकारी वर्ष 2006 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सड़क का विस्तार वादी के खसरा संख्या 13 में करना शुरू करने पर वादी द्वारा हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर पता चला था,वादी की खातेदारी भूमि में से 06.01 बीघा भूमि

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी संख्या 02 के नाम नामान्तकरण कर पारित हो गया हैं। वादी को जानकारी होने के बाद वाद पेश किया गया,साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया गया,लेकिन श्री न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। मौके पर खसरा संख्या 13 में सड़क विस्तार का कार्य वादी की खातेदारी भूमि में कार्य किया गया। वादी द्वारा मौका कमीश्नर के लिए प्रार्थना पत्र पेश की गई,जो मौका कमीश्नर ने रिपार्ट बनाए, जो प्रदर्श 16 व प्रदर्श 18 हैं,जिसमें की सड़क को निर्माणधीन बताया गया है,खसरा संख्या 04 में सड़क निर्माण नहीं कर वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 13 में रकबा 06.01 बीघा भूमि पर जबरन सड़क निर्माण का कार्य किया गया। वादी को मुआवजा भी नही दिया गया। वर्ष 2014 में प्रतिवादी संख्या 01 नेशनल हाईवे को 112 से राष्ट्रीय राजमार्ग भूतल परिवहन मत्रालंय 25 घोषित किया गया,जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 को पक्षकार बनाया गया। उन द्वारा जवाब पेश कर वादी को भूमि के बदले मुआवजा देने के इन्कार किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त भूमि रकबा 06.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा गलत तरीके से सड़क का निर्ताण करवाया गया हैं,उक्त भूमि के बदले मुआवजा नहीं दिया गया,जो की वादी ने अपनी ओर से दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया हैं। अतं में निवेदन किया की वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि रकबा 06.01 बीघा भूमि का वादी को मुआवजा दिलवाया जावे,अन्यथा वादी की भूमि रकबा 06.01 बीघा भूमि प्रतिवादी से खाली करवा कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्व वांछित अनुतोष अनुरूप स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

5. इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी की ओर से वाद मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं, जो चलने योग्य नहीं हैं। क्योंकि स्टेट के समय से जोधपुर बालोतरा चितलवाना सांचौर रोड़ का निर्माण कीया गया था,जो मुरड़िया रोड़ के रूप में बनी थी। उसके बाद इसी सड़क पर समँय समय पर ड़ामरीकरण का कार्य किया गया व विस्तार भी किया गया। उक्त सड़क को भारत सरकार के द्वारा दिनांक 25.02.2004 को प्रकाशित राजपत्र के अनुसार का. आ. 240(अ) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 (1956 का 48) की धारा 02 की उपधारा (2) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 घोषित किया गया तथा उसकी सड़क सीमा का भूमि नौवहन सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज हैं। जिसका नामान्तकरण संख्या 991 के द्वारा नौवहन सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम 06.01 बीघा गैर मुमकिन खसरा संख्या 900/13 दर्ज हुआ हैं। यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नियत्रंण (भूमि एवं यातायात) एक्ट 2002 के चैप्टर III सेक्शन 23 के तहत राइट ऑफ वे (सड़क भूमि सीमा) में आती हैं। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नेशनल हाईवे 112 बनकर घोषित हो चुकी हैं,यह भूमि केन्द्र सरकार की हैं। इसका स्वामित्व भारत सरकार का हैं,वादी अथवा अन्य का कोई अधिकार नहीं हैं। सड़क निर्माण मार्ग 60 वर्ष पहले हुआ था,उस समय तत्कालीन खातेदारों द्वारा न तो कभी कोई एतराज किया गया व न ही कोई विरोध किया गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा भूमि वर्ष 1973 में खरीद की जानी बताए गए है,जबकि सड़क निर्माण के समय वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार ही नहीं था,तो किसी प्रकार का मुआवजा इत्यादि प्राप्ति का हकदार नहीं बनता हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन की वर्तमान में भूमि की कीमतों में बढोतरी होने के कारण भूमि को हड़प करने की नियत से वाद पेश किया गया हैं,जो सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जावे।

6. प्रतिवादी संख्या 05 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी की ओर से वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं,जो चलने योग्य नहीं है। वादी के कथानुसार उसकी क्रयशुदा भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया हैं,उसमें उसकी भूमि का कुछ हिस्सा भाग निर्माण में काम में लिये जाने पर भी मुआवजा नहीं दिया गया,ऐसा कथन किया गया हैं,परन्तु वस्तु स्थिति इससे एकदम विपरीत हैं। वादी किसी भी प्रकार से उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं। क्योंकि सड़क के पूर्व में उसके निर्माण रख–रखाव इत्यादि की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान सरकार के पास थी। सन् 2014–15 में राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का निर्माण,संरक्षण व इसके रख–रखाव हेतु सुपुर्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा वादग्रस्त भूमि को अधिग्रहण ही उसके द्वारा नहीं किया गया,तो उसके उपर मुआवजा दिये जाने का दायित्व नहीं बनता हैं। वादग्रस्त भूमि सन् 1976 में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पक्ष में नामान्तकरण पारित हो गया था। वादी द्वारा उक्त भूमि के सबंध में उसके अधिकारो का वाद वर्ष 2006 में पेश किया गया हैं,जबकि सड़क का निर्माण प्रश्नगत भूमि सन् 1976 को ही हो गया था, इस प्रकार वादकारण ही उत्पन्न नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित किसी भी विवाद को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम 2002 की धारा 14, 15, 16 व 23 के अनुसार विवाद नेशनल हाईवे ट्रिब्यूनल में ही कीया जा सकता हैं। ऐसे प्रकरणों को श्री न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है। जैसा कि वर्तमान प्रकरण में भूमि के मुआवजे के बारे में विवाद है,ऐसे प्रकरणों के बारे में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.07.2013 को एक परिपत्र जारी किया गया था। जिसमें Procodure For possession/transfer of State Govt. Land for the

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

development of National Highways के बारे में दिशा–निर्देश दिये गये है। उक्त परिपत्र का पद संख्या 2.6 निम्न प्रकार हैः–सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ–कुछ परियोजनाओं में राजमार्गो के लिये भूमि को निजी भूमि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा हैं और इसे अधिग्रहण के लिये नेशनल हाईवे एक्ट के तहत लागत (कीमत) के साथ रखा जा रहा हैं। उन्होनें कहा कि यदि राजमार्ग पहले से ही परिचालन में हैं,और सार्वजनिक रूप से कार्यात्मक (Function) हैं,और यदि भूमि का नामान्तकरण सरकार के नाम पर नहीं हुआ है,तो इसे निजी पार्टी द्वारा मुफ्त में दिये जाने के रूप में माना जाना चाहिये और कोई लागत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होनें कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सरकारी भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे को सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। (2.7) मुख्य अभियन्ता (NHDP-IVA) और मुख्य अभियन्ता/जनरल मैनेजर, NHAI ने अनुरोध किया कि भूमि के स्वामित्व की स्पष्टता के व्यावहारिक मुद्दों और संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण और मुआवजा) की सिफारिश से सहमति व्यक्त की कि सरकारी भूमि को राजमार्ग अधिनियम के तहत बिना किसी लागत के अधिग्रहित किया जाना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि वादी किसी तरह के मुआवजे का पात्र नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद भारी खर्चे के साथ खारिज किया जावें।

7. हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादी की ओर से अपनी बहस मे मुख्य तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 13 मे वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिए व बिना भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाए 6.01 बीघा भूमि पर सड़क निर्माण अवैघ रूप से किया गया है,इस कारण वादी की भूमि रकबा 6.01 बीघा भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे,अन्यथा गलत तौर से सड़क का किया गया निर्माण हटाया जाकर भूमि पुनः वादी की खातेदारी में घोषित की जावे। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी बहस मे मुख्य तर्क दिया गया कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद की गई है। वादग्रस्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी द्वारा तत्समय सड़क निर्माण के समय कोई आपति उजर एतराज पेश नही किया गया था,विगत 60 वर्षो से अधिक समय से सड़क मार्ग उपयोग मे आ रहा है,इस कारण वादी सड़क भूमि के संबघ मे उजर एतराज उठा नही सकने के कारण वादी का वाद खारिज किया जावे। हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 13,15 व 17 कुल रकबा 148.04 बीघा भूमि श्रीमति अणस कुंवर जोजे शेकरण पुत्र जेठूदान चारण सा.पारलू 1/2 हिस्सा मांगीलाल पुत्र सुमेरमल

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सुमेरमल पुत्र बछराज कौम ओसवाल 1/2 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी भूमि मे अवस्थित थी। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि मे श्रीमति अणसकुंवर जोजे शेकरण पुत्र जेठूदान चारण सा.पारलू 1/2 हिस्सा जरिए पंजीबद्व विक्रयपत्र के खरीद किए जाने पर नामान्तकरण संख्या 219 के द्वारा रेकर्ड मे नाम दायर हुआ तथा शेष 1/2 हिस्सा मांगीलाल पुत्र सुमेरमल सुमेरमल पुत्र बछराज कौम ओसवाल का वादी के भाई किरताराम द्वारा जरिए पंजीबद्व विक्रयपत्र के खरीद किए जाने पर नामान्तकरण संख्या 23 के द्वारा रेकर्ड मे नाम दायर हुआ। पत्रावली के संलग्न छायाप्रति जमाबंदी संवत 2062–2065 तक खसरा संख्या 900/13 रकबा 6.01 बीघा किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग(भवन एवं सड़क) के नाम दर्ज थी,तत्पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक:राज./2006/2462–69 दिनांक 21.3.2006 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 991 सार्वजनिक निर्माण विभाग(भवन एंव सड़क) से नौ वहन सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग(भू तल परिवहन) मंत्रालय भारत सरकार एन.एच.112 के नाम पारित हुआ,जो कि वर्तमान मे बदूस्तर रेकर्ड मे प्रविष्टि चली आ रही है। प्रदर्श 16–वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन करने पर पाया कि मूल खसरा संख्या 13 मे से मुख्य सड़क राजमार्ग का खसरा संख्या 900/13 रकबा 6.01 बीघा भूमि पर मुख्य सड़क चल रही है,जिसमे डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है,का उल्लेख है। पत्रावली मे वादी पक्ष की ओर से बयानात मय जिरह का भी अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 ने आंशिक स्वीकार किया है कि पूर्व मे सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज थी,तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 05 के नाम दर्ज हुई है। अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा वादग्रस्त भूमि अवाप्त नही किए जाने के कारण मुआवजा दिए जाने का प्रश्न पैदा नही होता है,जबकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किए गए,इससे इनके कथन को बल मिलता हो। इसके विपरीत वादी की ओर से साक्ष्य सबूतो एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि वादी की भूमि मे सड़क निर्माण हुआ है,सड़क निर्माण मे गई भूमि के बदले मुआवजा नही मिला है तथा वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान मे राष्ट्रीय राजमार्गे सड़क संचालित है। इस प्रकार समग्र विवेचन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि क्या न्यायालय हाजा वादग्रस्त भूमि पर हुए सड़क निर्माण के बदले मुआवजा राशि का दिलवाने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार रखता है अथवा नही,इस संबध मे न्यायालय हाजा का मत है कि राजस्व न्यायालय राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गो के संबध मे विवाद के बिन्दु का निस्तारण किए जाने के संबध मे क्षेत्राधिकार नही है,क्योकि ऐसे प्रकरणो का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय नही होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संस्थान/ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। लेकिन यह तो तय है कि वादग्रस्त भूमि रकबा 6.01 बीघा पूर्व मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दर्ज थी,तत्पश्चात नौ वहन सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग (भू तल परिवहन) मंत्रालय भारत सरकार एन.एच.112 के नाम दर्ज हुई। इस कारण वादी उक्त भूमि के संबध मे उचित प्लेटफार्म पर अपनी मांग रखने की कार्यवाही करने के लिए स्वंतत्र रहेगा। ऐसी सूरत मे वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 05 को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा आपके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर उनके अभ्यावेदन पर दो माह के भीतर विधि मे निहित प्रावधानो के तहत मुआवजा प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

04/09/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

04/09/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 80/2006

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2006/00001

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भूराराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अधिशाषी अभियंता,नेशनल हाईवे नम्बर–112 कार्यालय अधिशाषी अभियंता नेशनल हाईवे बालोतरा 2.अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 4.उम्मेदाराम पुत्र भैराराम के वारिसान 4/1.देवाराम पुत्र उम्मेदाराम 4/2.शंकरलाल पुत्र उम्मेदाराम 4/3.बाबुलाल पुत्र उम्मेदाराम 4/4.सुखराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी भांड़ियावास तहसील पचपदरा 5.भू तल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार जरिए परिवहन सचिव भू तल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 80/2006

निर्णय दिनांक :–04.9.2025

वादी की ओर से श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से खुशहालराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री सतीश ओझा की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/5 की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित,इस वाद में आज तारीख 04.9.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अधिनियम 1955 वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 05 को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा आपके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर उनके अभ्यावेदन पर दो माह के भीतर विधि मे निहित प्रावधानो के तहत मुआवजा प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करे।

यह आज तारीख 04.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 04/09/25

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 04/09/25